फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

रियासत अली बनाम नूरसमर व अन्य

किस्म मुकदमा:– 88,53,209 LTA प्रकरण संख्या:– 23 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2/25	पत्रावली वास्ते निर्णय प्राप्त हेतु पेश हुई। अप्रार्थी पक्ष उप.। प्रार्थी पक्ष आदेश 7 नियम 11 CPC प्रार्थी (प्रति. सं. 5) स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री जारी हो। नकल दे दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2022/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 23/2022 GCMS:-2022/24 दायर दिनांक : 31.01.2022

रियासत अली पुत्र नूरसमन्द जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

1. नूरसमन्द पुत्र अकबरखां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राणासैन पत्नी जुमाखां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
4. भसंता बेगम पत्नी युसुफखां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. आरफखां पुत्र नूरजमाल जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

<u>वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादी
2. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 4 व 5
3. श्री गुमाना राम पूनिया, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 5
4. पैरोकार राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 11.02.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली वर्तमान में यह है कि वादी द्वारा इस कथन के साथ वाद वास्ते घोषणा अपने पिता को बतौर वारिस व स्वयं पिता की [illegible] तहसील सूरतगढ़ के चक 13 एस.एच.पी.डी. के पत्थर नं. 88/346 के किला नं. 13 [illegible] 25 = 6.289 है0 व चक 14 एस.एच. पी.डी. के पत्थर नं. 93/353 के किला नं. [illegible] 25 = 6.325 है0 एवं चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:17 IST
Reason: Self Attested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

11 एस.जी.एम. के पत्थर नं. 98/366 के किला नं. 1 से 15 = 3.162 है0 में 1/3 हिस्सा की पिता की भूमि में हिन्दू विधि से परिवार को अधिशासित मानकर स्वयं को हिस्सा अनुसार खातेदार कृषक घोषित करने का वाद प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। बाद सुनवाई वादी का वाद तनकीवार विवेचन कर वादी को मुस्लिम विधि से अधिशासित होने व वाद आधारहीन मानकर दिनांक 08.06.2015 को निरस्त किया जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील हुई जो दिनांक 13.02.2020 को स्वीकार कर, आदेश व डिक्री दिनांक 08.06.2015 निरस्त कर दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय हेतु इस न्यायालय को प्रेषित की गई। पत्रावली पुनः प्राप्त होने पर पक्षकारान को तलब कर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान गुरदयाल सिंह व विमला द्वारा उक्त भूमि में से कुछ भूमि क्रय किये जाने के आधार पर स्वयं को पक्षकार बनाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो विचारण में रहते ही आरफखां प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 5) द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 मुस्लिम जाति से हैं, उनके लिए धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार मुस्लिम विधि के प्रावधान प्रभावशील हैं जिसमें सहदायी की हिन्दू विधि प्रभावशील नहीं है। यदि वादी (अप्रार्थी) मुस्लिम होते हुए अपने पर हिन्दू विधि प्रभावशील मानता है तो इसकी घोषणा व्यवहार न्यायालय द्वारा करवाकर ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। वाद की विषयवस्तु व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार की होने से वाद वादी व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 से विधि द्वारा वर्जित क्षेत्राधिकार विहीन होने से वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की। प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त किया जिसमें अप्रार्थी (वादी) ने कथन किया कि परिपाटी अनुसार उन पर हिन्दू विधि से उत्तराधिकार प्राप्त होता आ रहा है। परिपाटी के आधार पर उन पर हिन्दू विधि प्रभावशील है। परिवार को इकाई मानकर ही प्रतिवादी सं. 1 को आवंटन हुआ है। साथ ही माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश की अनुपालना में पूर्ण साक्ष्य बहस ली जाकर तनकी अनुसार विवेचन कर निर्णय किया जाना उचित बताते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:17 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त करने की प्रार्थना की।

बाद आने जवाब तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 5) ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादी (अप्रार्थी) ने स्वयं कथन किया है कि वादी जाति से मुस्लिम है। काश्तकारी विधि अनुसार हिन्दू पर परिपाटी का हिन्दू विधि व मुस्लिम हेतु मुस्लिम विधि प्रभावशील है। विपरीत की घोषणा व्यवहार न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। इसी अनुसार अभिभाषक प्रार्थी ने आर.आर.डी. 1977 पेज सं. 92 करीम बक्श बनाम सुलेमान का न्याय निर्णय प्रस्तुत किया। साथ ही इसी न्यायालय का निर्णय जनाब अली बनाम अहमद्दीन प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी (वादी) ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का तर्क माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पिता के नाम भूमि आवंटन पूर्ण परिवार को इकाई मानकर किया गया है। दादा के नाम की अंकित भूमि प्रतिवादी सं. 1 को उत्तराधिकार में हिन्दू विधि अनुसार प्राप्त हुई है। वादी (अप्रार्थी) का दावा दिनांक 08.06.2015 को निरस्त हुआ जो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है। वादग्रस्त सम्पत्ति हस्तान्तरित हो चुकी है जिसमें हस्तान्तरिती के पक्षकार बनने के प्रार्थना–पत्र विचाराधीन है। इस स्तर पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विचारणीय नहीं है। वाद में गुणावगुण पर बाद पूर्ण सुनवाई निर्णय किया जाना उचित है। अप्रार्थी पर हिन्दू विधि प्रभावशील है या मुस्लिम, पूर्ण सुनवाई पर ही निर्णय होने योग्य है। अप्रार्थी की ओर से प्रकाशित न्याय निर्णय आर.बी.जे. 2014 पेज सं. 272, डी.एन.जे. 2012 पेज सं. 783, आर.बी.जे. 2009 पेज सं. 310, आर.आर.टी. 2015 पेज सं. 1268 तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:17 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अध्ययन व मनन किया गया एवं न्याय निर्णयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन व मनन

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

करने के उपरान्त पाया कि यह कथन पत्रावली के वाद से कथनों से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 जाति से मुस्लिम हैं। काश्तकारी अधिनियम के अनुसार हिन्दू पर परिपाटी के रूप में हिन्दू विधि व मुस्लिम पर मुस्लिम विधि समुदाय के रूप में उत्तराधिकार हेतु लागू होती है। इसके विपरीत निर्णय का अधिकार राजस्व न्यायालय को है, ऐसा न्याय निर्णय वर्तमान मामले में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि खातेदार कृषक की घोषणा करने से पूर्व जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता कि प्रश्नगत कृषि भूमि पर पक्षकारान पर मुस्लिम होते हुए व्यक्तिगत कानून Personal Law हिन्दू विधि से होगा, यह निर्णय नहीं हो जाता, तब तक अन्य अधिकारों का निर्णय होने योग्य नहीं है। प्रथम प्रश्न उत्तराधिकारी हेतु उस पर उत्तराधिकार हेतु किस समुदाय की विधि या परिपाटी प्रभावशील होगी, इस बिन्दु पर निर्णय होना है, जो कि व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। इस विषय में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खण्ड पीठ का निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी. 1977 पेज सं. 92 करीम बक्श बनाम सुलेमान इस मामले में पूर्ण रूप से प्रभावशील होता है, जिसमें यह माना है कि "Question whether muslims to be governed by Hindu Customary Land is a question of a civil nature and party seeking relief on that basis must get a verdict from civil court." यह न्यायालय तब तक वादी की विषयवस्तु पर विचारण नहीं कर सकता, जब तक वादी (अप्रार्थी) व्यवहार न्यायालय से यह घोषणा प्राप्त नहीं कर लेता कि उस पर प्रथमतः हिन्दू विधि प्रभावशील है, द्वितीय हिन्दू विधि में भी वह मिताक्षरा हिन्दू विधि के सहदायी सिद्धान्त से अधिशासित होता है। यह दोनों घोषणाऐं मात्र व्यवहार न्यायालय द्वारा ही देय हैं। इन बिन्दुओं की घोषणा प्राप्त किये बिना वादी (अप्रार्थी) किसी प्रकार का अनुतोष काश्तकारी अधिनियम में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस दृष्टि से वाद में आगे विचारण किया जाना मात्र अदालत के समय का दुरूपयोग ही माना जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 2014 पेज सं. 272 पर माना गया है "When from the statement made in the plaint it appears that [illegible] barred by any law and not maintainable, application under order 7 rule 11 can be accepted." व आर.बी.जे.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:18:17 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

2009 पेज सं. 310 में माननीय उच्च न्यायालय का मात्र यह निर्देश है कि आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विचारण हेतु वाद पढ़ा जायेगा। इस मामले में वाद के पठन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारान मुस्लिम समुदाय से है, समुदायगत उन पर मुस्लिम विधि प्रभावशील है, मुस्लिम होते हुए उन पर हिन्दू विधि लागू है, इसकी सक्षम अदालत से घोषणा करवाये बिना राजस्व न्यायालय वाद के अनुतोष देने से स्पष्ट रूप से अक्षम है। जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.टी. 2015 पेज सं. 1268 का सम्बन्ध है, इसकी विषयवस्तु अलग है। विचारण विषय भी अलग है। वर्तमान विचारण विषय पर यह प्रभावशील नहीं है। उक्त मामले में फ्रॉड और मिलीभगत के आरोपों की जांच होनी थी, इसलिए माननीय अदालत ने उक्त मामले में आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रभावशील नहीं माना। स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में विचारण बिन्दु अलग हैं। इसी प्रकार न्याय निर्णय डी.एन.जे. 2012 पेज सं. 783 में विषयवस्तु भिन्न होने से प्रभावशील नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 5) स्वीकार कर वादी का वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ना होने व विधि वर्जित मानते हुए आदेश 7 नियम 11 उपधारा 'd' व्यवहार प्रक्रिया संहिता की परिधि में मानकर निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (बीका.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:17 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

रियासत अली पुत्र नूरसमन्द जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. **नूरसमन्द पुत्र अकबरखां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
2. **राणासैन पत्नी जुमाखां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
3. **तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**
4. **भसंता बेगम पत्नी युसुफखां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
5. **आरफखां पुत्र नूरजमाल जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 23 वर्ष 2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 श्री विनोद कुमार बिश्नोई व अभिभाषक प्रतिवादी सं. 5 श्री गुमाना राम पूनिया एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 5) स्वीकार कर वादी का वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ना होने व विधि वर्जित मानते हुए आदेश 7 नियम 11 उपधारा 'd' व्यवहार प्रक्रिया संहिता की परिधि में मानकर निरस्त किया जाता है।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. फसदों की पालना ....×............आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11.02.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:17 IST
Reason: SelfAttested